

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1475] No. 1475] नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2016/ज्येष्ठ 23, 1938

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2016/JYAISTHA 23, 1938

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

का.आ. 2081(अ).—विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड—3 के उप—खण्डों (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित सदस्यों को केन्द्रीय समन्वय समिति में नामित करती है और इस उद्देश्य के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के का.आ. 796(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 1998 में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) "खण्ड—3 के उप—खण्ड (2) की धारा (i) के अन्तर्गत नामित शीर्ष के अन्तर्गत" क्रम संख्या 21, 22 और 23 के लिए नामित और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
- "21. डॉ. सुकुमार, 8, शिवम, रवीन्द्र नगर, नागपुर—440022

गुजरात

- 22. श्री भूषण पुनानी ब्लाइंड पिपुल'स एसोसिएशन जगदीश पटेल चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद—380015.
- 23. श्री जी. विजय राघवन लक्ष्मीप्रिय, सं. 29, चेमबागा नगर, बेकरी जंक्शन, तिरूवनंतपुरम्, केरल—695001.

सदस्य

सदस्य

सदस्य"

2987 GI/2016

(ख) "खण्ड—3 के उप—खण्ड 2 की धारा (ट) के अन्तर्गत नामित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 28, 29, 30 और 31 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात :-

मणिपुर सरकार का प्रतिनिधि "28.

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि 29.

सदस्य

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, 30.

सदस्य

पूड्चेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का प्रतिनिधि 31.

सदस्य"

(ग) "खण्ड-3 के उप-खण्ड 2 की धारा (ठ) के अन्तर्गत नामित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 32, 33, 34, 35 और 36 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात :--

श्री एस. के. रूगटा. "32.

प्लाट सं. 21, सेक्टर–6, पुष्प विहार, एम.बी.रोड, नई दिल्ली-110017

श्री कनुभाई टेलर 33.

सदस्य

भारतीय विकलांग कल्याण न्यास, समीप श्री साईं समर्थ रेजिडेंसी

बी / एच सर्दोत्तम स्कूल, लेक व्यू गार्डन के सामने,

उमरा, सूरत-395007

श्रीमती ऊषा पंजाबी, 34.

सदस्य

1512, स्कीम संख्या 71-बी, (रंजीत हन्मान मंदिर के पीछे),

इंदौर-452009

श्रीमती मैरी बरुआ, 35.

सदस्य

ए-1/51, पंचशील एन्कलेव, प्रथम तल,

नई दिल्ली-110017

श्री पंकज मारू 36.

सदस्य"

3 / 10, आदर्श गांधी ग्राम कॉलोनी, नागदा जंक्शन, (मध्य प्रदेश)-456335.

[फा. सं. 16-11/2006-डीडी-III]

अवनीश क्मार अवस्थी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- प्रथम अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या का.आ. ७७६(अ), दिनांक ९ सितम्बर, १९९८ द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2428(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2011 द्वारा अन्तिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2016.

S.O. 2081(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Central Government, hereby nominates the following members to the Central Co-ordination Committee and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 796 (E), dated the 9th September, 1998 namely:—

In the said notification,—

(a) under the heading "Nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 3", for serial numbers 21, 22 and 23 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"21. Dr. Sukumar,

Member

8, Shivam, Ravindra Nagar,

Nagpur-440022.

22. Shri Bhushan Punani

Member

Blind People's Association,

Jagdish Patel Chowk, SurdasMarg,

Vastrapur, Ahmedababd - 380015.

Gujarat.

23. Shri G.Vijaya Raghavan

Member

Lakshmipriya, No.29, Chembaga Nagar,

Bakery Junction,

Thiruvananthapuram, Kerala- 695001.

(b) under the heading "Nominated under clause (k) of sub-section 2 of section 3", for serial numbers 28,29,30 and 31 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"28. Representative of Government of Manipur

Member

29. Representative of Government of Maharashtra

Member

30. Director, Social Security and Women & Child

Member

Development, Government of Punjab.

31. Representative of Union Territory Administration of

Member."

Puducherry.

(c) under the heading "Nominated under clause (l) of sub-section (2) of section 3", for Serial numbers 32, 33, 34, 35 and 36 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"32. Shri S.K. Rungta,

Member

Plot No. 21, Sector-6, PushpVihar, M.B. Road

New Delhi- 110017.

33. Shri Kanubhai Tailor,

Member

Disable Welfare Trust of India,

Near ShriSai Samarth Residency

B/H Sardauatam School, Opp. Lake View Garden,

Umara, Surat-395007.

34. Smt. Usha Punjabi,

Member

1512, Scheme No.71-B, (Behind Ranjeet Hanuman Temple),

Indore-452009.

35. Smt. Mary Barua,

Member

A 1/51, Panchsheel Enclave. First Floor,

New Delhi-100017.

36. Shri Pankaj Maru, Madhya Pradesh

Member."

3/10, Adarsh Gandhi Gram Colony, Nagda Junction,

(Madhya Pradesh)-456335.

[F. No.16-11/2006-DD-III]

K. AWASTHI, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide Notification No. S.O. 796(E), dated the 9th September, 1998 and last amended vide notification No. S.O. 2428(E), dated 9th October, 2011.